न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

(8)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3155–दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 14–08–2012 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 15/अ–6/2010–11.

.....

राजमणि विधवा पत्नी स्व0 गैवीनाथ सिंह
निवासी ग्राम पडिया तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

दयावती पत्नी अरूणेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम पडिया तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री रमजान अली, अभिभाषक, आवेदक
श्री शिवेन्द्र सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 01–06–18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–08–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा दिनांक 25.3.08 को नायब तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ तहसील हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में भूमि खसरा कमांक 183/1क/1 रकवा 0.137 है0 एवं खसरा कमांक 183/1ख/1 रकवा 0.046 है0 की 1/2 भाग की भूमिस्वामी एवं सहखातेदार आवेदिका द्वारा जरिय रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22.6.04 को रूपये 46000/– में दोनों अराजियां विकय की जिसके आधार पर अनावेदिका द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण में आवेदिका के अधिवक्ता का साक्ष्य हेतु समय की मांग की लेकिन अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य की आपत्ति की, नायब तहसीलदार द्वारा आपत्ति निरस्त की। इससे दुखित होकर अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। उनके द्वारा दिनांक 14.8.12 को विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा अनावेदिका को विकय पत्र से भूमि विकय की, भूमि खसरा कमांक 183/1क/1 रकवा 0.137 है0 एवं खसरा कमांक 183/1ख/1 रकवा 0.046 है0 का नामांतरण कराने हेतु विचारण न्यायालय में धारा– 109/110 के अन्तर्गत आवेदन दिया गया। नायब तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा आवेदिका को साक्ष्य का अवसर दिया गया था तथा आवेदिका की आपत्ति निरस्त की गई है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य

आदेश में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये उनका आदेश अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा स्थिर रखा गया है।

6– उपरोक्त विवेवा के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है, तथा अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 15/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 14.8.12 उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर